उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2
संख्या– 250 /XXIV–2/2018–06(02)/2012
देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक संवर्ग में कार्यरत निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों को कार्यालय ज्ञाप संख्या–224/XXIV–2/2014–01(07)/2014 दिनांक 03.11.2014 द्वारा अन्तिम रूप से प्रशासनिक संवर्ग आंवटित करते हुए "उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक(प्रशासनिक संवर्ग) सेवा(संशोधन) नियमाावली, 2016" में निहित प्रावधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या–190/XXIV–2/2018–06(02)/2012 दिनांकः 16.03.2018 द्वारा समायोजित तथा वर्तमान में निरीक्षण संवर्ग से समायोजित/कार्यरत समूह 'ख' के अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या–837/XXIV–2/2018–06(02)/2012 दिनांक 16.03.2018 द्वारा निर्गत करते हुए इस आशय से परिचालित की गयी थी कि यदि किसी अधिकारी को अपनी ज्येष्ठता के संबंध में आपत्ति हो तो वह आपत्ति शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के क्रम में कतिपय उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है, जिसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार हैः–

क्र0 स0	अधिकारी का नाम	पद नाम/ तैनाती स्थल	आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	शासन में प्राप्त होने की तिथि
1	सुलोहिता नेगी	उप शिक्षा अधिकारी, भीमताल, नैनीताल	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 11.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
2	पूजा नेगी दानू	उप शिक्षा अधिकारी, कालसी, देहरादून	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
3	श्री पंकज कुमार उप्रेती	उप शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
4	डा0 सुरेन्द्र सिंह नेगी	उप शिक्षा अधिकारी, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 10.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
5	श्री तारा सिंह	उप शिक्षा अधिकारी, लमगड़ा, अल्मोड़ा	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 10.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**

6	श्री हरीश सिंह	उप शिक्षा अधिकारी, भैसियाछाना, अल्मोड़ा	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 11.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
7	श्री अमित चौहान	उप शिक्षा अधिकारी, नौगांव, उत्तरकाशी	दिनांक 04.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 10.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
8	—	उप शिक्षा अधिकारी, रामगढ़, नैनीताल	दिनांक 19.03.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 11.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
9	श्रीमती विनीता कठैत नेगी	उप शिक्षा अधिकारी, धौलधार	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
10	श्रीमती आकांश राठौर भट्ट	उप शिक्षा अधिकरी, सहसपुर, देहरादून	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
11	श्री धनबीर सिंह	उप शिक्षा अधिकारी, जाखणीधार, टिहरी	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
12	मोनिका बम	उप शिक्षा अधिकरी, रायपुर, देहरादून।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
13	अमृता जायसवाल	उप शिक्षा अधिकारी, कल्जीखाल, पौड़ी	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
14	श्री यशवीर सिंह	उप शिक्षा अधिकारी, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
15	श्री भूवनेश्वर प्रसाद	उप शिक्षा अधिकारी, भिलंगना, टिहरी	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
16	श्री पंकज कुमार शर्मा	उप शिक्षा अधिकारी, चकराता, देहरादून।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 12.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त)**
17	श्री दिकम्बर लाल आर्य	उप शिक्षा अधिकारी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 20.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**

18	श्री हिमांशु नौगाई	उप शिक्षा अधिकारी, भिक्यासैण, अल्मोड़ा।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 18.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
19	श्री रमेश चन्द मौर्य	उप शिक्षा अधिकारी, कपकोट, बागेश्वर।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 18.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
20	श्री भानु प्रताप	उप शिक्षा अधिकारी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 18.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
21	श्री गणेश सिंह ज्याला	उप शिक्षा अधिकारी, विण, पिथौरागढ़।	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 25.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
22	श्री सोनी महरा	उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा, उधमसिंह नगर	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 17.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
23	श्रीमती सुषमा गौरव	उप शिक्षा अधिकारी, सितारगंज, उधमसिंह नगर	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 23.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
24	श्री रवि कुमार	उप शिक्षा अधिकारी, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 23.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**
25	श्री भारत जोशी	उप शिक्षा अधिकारी,चौखुटिया अल्मोड़ा	दिनांक 03.04.2018 (01 माह के समयान्तर्गत प्रेषित)	दिनांक 23.04.2018 **(निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त)**

उक्त तालिका में उल्लिखित समस्त उप शिक्षा अधिकारियों की आपत्तियां एक जैसी हैं, निमित्त मात्र भी अन्तर नहीं है, समस्त प्रार्थना पत्रों, जिनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है, की तिथि भी समान है। मात्र पृथक–पृथक उप शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

2– उपरोक्त अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गयी आपत्तियां एवं उनके सापेक्ष नियमानुसार/ अभिलेखानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् व्यक्त की जा रही है:–

<u>आपत्ति–1</u>

प्रशासनिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2013 में निहित प्राविधानानुसार उप शिक्षा अधिकारी के सृजित सभी 100 पद सीधी भर्ती के पद हैं जिन पर लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जानी थी किन्तु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकों में पारित निर्णय दिनांक

30.12.2013 व निर्णय दिनांक 15.01.2014 की गलत एवं मनमानी व्याख्या करते हुए एक पक्ष को लाभ पहुंचाने हेतु तद्समय प्रवृत्त सेवा नियमावली, 2013 के संगत प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया तथा नियमावली के प्राविधानों के विरूद्ध तथा लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना मात्र कार्यकारी आदेश से लोक सेवा आयोग की परिधि के सीधी भर्ती के पदों पर निरीक्षण संवर्ग के 45 कार्मिकों का नियमविरूद्ध रूप से समायोजन (जो कि भविष्य में इस हेतु प्रस्तावित नियमावली संशोधन के अधीन था।) किया गया एव तद्नुसार सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों (जिसमें अधोहस्ताक्षरी भी सम्मिलित है।)की अवहेलना करते हुए समायोजित कार्मिकों की एकतरफा एवं त्रुटिपूर्ण रूप से ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गयी।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–1310/एस0एस0/2013, 1326/एस0एस0/2013, 1327/एस0एस0/2013, 1324/एस0एस0/2013, 1325/एस0एस0/2013, 1328/एस0एस0/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 तथा रिट याचिका संख्या–79/एस0एस0/2014 रणजीत सिंह राणा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र दिनांक 24.02.2014 द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर याची के प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ याचीगण भी उपस्थित थे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि याचीगणों की नियुक्ति मूलतः प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रतिउप विद्यालय सेवा नियमावली, 1992 के प्रावधानों के तहत की थी। शासनादेश संख्या–172 दिनांकः 10.04.2013 द्वारा निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों से प्रशासनिक शाखा हेतु विकल्प मांगे गये थे परन्तु उन्हें अभी तक प्रशासनिक संवर्ग आवंटन नहीं किया गया है। याचीगणों के नैःसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर प्रशासनिक अथवा अकदमिक विकल्प देने के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि याचीगणों एवं इनके साथ निरीक्षण संवर्ग के समस्त अधिकारियों को प्रशासनिक संवर्ग आवंटन कर दिया जाये। तद्नुसार लिए गए निर्णय के क्रम में उक्त रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या–75 दिनांक 19.08.2014 निर्गत किया गया है।

निरीक्षण संवर्ग मृत घोषित हो जाने के फलस्वरूप इस सवंर्ग के अधिकारियों को भी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संवर्ग की मुख्य धारा में लाने हेतु यह व्यवस्था की गयी थी, जो नैःसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित है। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

आपत्ति–2

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रश्नगत प्रकरण में योजित विभिन्न रिट याचिकों में पारित निर्णय दिनांकः 30.12.2013 व निर्णय दिनांकः 15.01.2014 के अनुपालन में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्गत आदेश संख्या–75/XXIV–2/14–01 (07)/2014 दिनांक 19.08.2014 द्वारा की गयी व्यवस्थानुसार सेवा नियमावली में व्यवस्था बनाते हुए उप शिक्षा अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती के उपरान्त अवशेष रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से निरीक्षण संवर्ग के कार्मिकों का समायोजन किया जाना था। किन्तु लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का चयन परिणाम घोषित होने व नवनियुक्त अधिकारियों की

नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होने के उपरान्त भी प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त शासनादेश का स्वयं उल्लंघन करते हुए नवीन शासनादेश संख्या–224(1)/XXIV–2/2014–01(07) /2014 दिनांक 03.11.2014 द्वारा मनमाने तरीके से निरीक्षण संवर्ग के 45 कार्मिकों को सीधी भर्ती के पदों पर तैनाती प्रदान कर दी गयी। जबकि उक्त तिथि को तदसमय प्रभावी नियमावली के अनुसार संवर्ग में समायोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा इस हेतु कोई पद उपलबध नहीं थे। साथ ही सीधी भर्ती के चयन परिणाम के उपरन्त संवर्ग में उप शिक्षा अधिकारी के मात्र 09 पद ही रिक्त थे। इस प्रकार उक्त 09 रिक्त पदों के सापेक्ष 45 कार्मिकों का एकमुश्त रूप से समयोजन किस प्रकार किया गया यह स्पष्ट नहीं है।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

कार्यालय ज्ञाप संख्या–75 दिनांकः 19.08.2014 में उल्लेख किया गया है कि "जो कार्मिक उप खण्ड शिक्षा अधिकारी से उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हो चुके हैं अर्थात जो वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे– 5400 में अथवा समयमान वेतन के आधार पर इससे उच्च वेतन में कार्यरत हैं उन्हें उप शिक्षा अधिकारी के उन रिक्त पदों पर समायोजित किया जायेगा जो लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन में इंगित पदों के अतिरिक्त शेष होंगे या आगे रिक्त होंगे। इस प्रकार से समायोजित अधिकारियों को यदि उप शिक्षा अधिकारी के वेतनमान से उच्च वेतन पूर्व से अनुमन्य है तो उन्हें उनका उच्च वेतन व्यक्तिगत रूप से संरक्षित रहेगा, परन्तु जो अधिकारी मौलिक रूप से पदोन्नति के माध्यम से ग्रेड वेतन 6600 में कार्यरत हों, उन्हें खण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर समायोजित किया जायेगा।"

कार्यालय ज्ञापः–224 दिनांकः 03.11.2014 में निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों के विकल्प स्वीकार करते हुए उन्हें योगदान देने की तिथि से अन्तिम रूप से प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है। उक्त तिथि से समायोजन नहीं हुआ है। कार्यालय ज्ञाप संख्या–190 दिनांक 16.03.2018 द्वारा निरीक्षण संवर्ग के कार्मिकों का प्रशासनिक संवर्ग में समायोजन किया गया है।

आपत्तिकर्ताओं का यह कथन कि शासनादेश संख्याः–224 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा 45 कार्मिकों का एक मुशत समायोजन कर दिया गया। यह आपत्ति अग्राह्य है। इसका तार्किक आधार यह है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.2014 से समयोजन नहीं किया गया था अपितु निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों के विकल्प स्वीकार करते हुए उन्हें अंतिम रूप से प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किये जाने की कार्यवाही की गयी थी तथा इनके समयोजन की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रावधान के अनुसार किया गया है। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

आपत्ति–3

निरीक्षण संवर्ग के 45 कार्मिकों का उप शिक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों पर प्रशा0 विभाग द्वारा नियमविरूद्ध रूप से समयोजन करते हुए शासनादेश संख्या–224(1)/ XXIV–2/2014–01 (07)/2014 दिनांक 03.11.2014 में उल्लेख किया गया था कि 'उक्त समायोजन प्रशासनिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2013 में भविष्य में किए जाने वाले संशोधन के

अधीन होगा' तदुपरान्त प्रशासनिक संवर्ग सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन), 2016 (दिनांक 23.12.2016 से प्रभावी) में प्राविधानित किया गया है कि 'निरीक्षण संवर्ग के उक्त 45 कार्मिकों का प्रशासनिक संवर्ग में समायोजन उन्हें संवर्ग आवंटन की तिथि अर्थात् दिनांक 03.11.2014 से माना जाएगा'। इस प्रकार नियमावली में उक्त संशोधन भूतकालिक प्रभाव से किया गया जो कि असंवैधानिक है तथा विधिक रूप से सम्भव नहीं है। नियमानसुार जिस तिथि से सेवा नियमावली में संशोधन (2016) प्रवृत्त हुआ है उसी तिथि से उसके प्राविधान प्रभावी माने जाने चाहिए न कि किसी पूर्ववर्ती तिथि से। उक्त आधार पर अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमावली संशोधन को तत्काल निरस्त किए जाने का अनुरोध करती है।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के प्राख्यापन से पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया था कि पूर्ववर्ती निरीक्षण संवर्ग समाप्त हो जाने के कारण शासनादेश दिनांक 19.08.2014 के क्रम में केवल एक बार के लिए निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो ₹ 5400/– ग्रेड पे में नियमित रूप से प्रोन्नत हो चुके हैं, उनका समायोजन उप शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक पद पर प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से किया जायेगा'' तद्क्रम में समस्त परामर्शीय विभागों (कार्मिक, वित्त, न्याय, विधायी)का परामर्श/सहमति प्राप्त करते हुए मा0 मंत्रिमण्डल की सहमति से उक्त संशोधित नियमावली, 2016 निर्गत की गयी है।

विधिवत् मा0 मंत्रिमण्डल की सहमति से उक्त संशोधित नियमावली, 2016 निर्गत हुई है। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

आपत्ति–4

प्रशासकीय विभाग द्वारा निरीक्षण संवर्ग के 45 कार्मिकों का उप शिक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों पर नियमविरूद्ध समायोजन चयन वर्ष 2014–15 में किया गया। समान चयन वर्ष में ही लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयनित उप शिक्षा अधिकारियों (जिसमें अधाहस्ताक्षरी भी सम्मिलित है) को नियुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे में प्रशासकीय विभाग द्वारा समान चयन वर्ष में विभिन्न स्रोतों से नियुक्त समस्त अधिकारियों का पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण समेकित रूप से किया जाना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं किया गया तथा सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए केवल नियमविरूद्ध रूप से समायोजित कार्मिकों की ही अनन्तिम किन्तु त्रुटिपूर्ण ज्येष्ठता निर्धारित की गयी, जोकि आपत्तिजनक है।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

चयन वर्ष 2014–15 में लोक सेवा आयोग से 67 उप शिक्षा अधिकारी चयनित हुए हैं एवं निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों को दिनांक 03.11.2014 में प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है। उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती एवं निरीक्षण संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता के संबंध में कार्मिक विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श मांगा गया था कि ज्येष्ठता सूची का निर्धारण करते समय निरीक्षण संवर्ग के उक्त अधिकारियों को चयन वर्ष 2014–15 में नियुक्त उपशिक्षा अधिकारियों से पहले रखा जायेगा? कार्मिक विभाग ने परामर्श दिया है कि ''उत्तराखण्ड राज्य

शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 5 में उल्लेख किया है कि उनका समायोजन उप शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक पद पर प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से करना उल्लिखित है, जहां तक सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता का प्रश्न है, वह उनकी सेवा में मौलिक नियुक्ति के दिनांक (यथास्थिति सपठित नियमों) से अवधारित की जायेगी।''

उक्त के क्रम में अग्रेत्तर प्रस्तर में परामर्श दिया कि ''निस्तारण आदेश दिनांक 19.08.2014 एवं दिनांक 02.06.2016 के बिन्दु 10(05) में उल्लेख किया गया है कि इन कार्मिकों के प्रशासनिक संवर्ग में संभावित पद पर वर्तमान में सबसे निम्नतम कार्मिक के बाद इन कार्मिकों का वरिष्ठता क्रमानुसार किया जायेगा। अतः स्पष्ट होता है कि प्र0विभाग द्वारा ज्येष्ठता निर्धारित का निर्णय लिया जा चुका है''। कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श के क्रम में निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 28.03.2006 के क्रमांक 459 के बाद उनकी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाये।

यद्यपि आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति के सापेक्ष उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। तथापि यह स्पष्ट करना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8 में यह व्यवस्था है कि जब नियुक्तियां विभिन्न स्रोतों से हो तो ज्येष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है? किन्तु इस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो तो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में अवधारित किया जायेगा। किन्तु विषयगत प्रकरण अर्थात् निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त नियम से आच्छादित नहीं होती है, क्योंकि निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों जिनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, कि समूह 'ख' उपप्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के क्रम में वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में हो चुकी है एवं चयन वर्ष 2014–15 में इनसे विकल्प प्राप्त करते हुए प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है तथा कालांतर में संशोधित नियमावली बनाते हुए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही इनका समायोजन प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से किया गया है। अतः निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति वर्ष 2014–15 में नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2014–15 में उपप्रधानाचार्य के पद पर चयनित होकर आए अभ्यर्थी जिन्हें उपप्रधानाचार्य का पद समाप्त हो जाने के कारण उप शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनाती दी गयी है, के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता चक्रानुक्रम में अवधारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

<u>आपत्ति–5</u>

उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 नियम 5 में स्पष्ट किया गया है कि समान चयन वर्ष में किए गये सभी चयन में सीधी भर्ती से किया गया चयन अथवा नियमित चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा तथा तद्नुसार उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। किन्तु प्रशासकीय विभाग द्वारा ज्येष्ठता नियमावली के उक्त प्राविधान का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए समान चयन वर्ष में नियमित रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों

की अनदेखी कर समायोजित कार्मिकों को पूर्ववर्ती मानते हुए उनकी ज्येष्ठता सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों के ऊपर निर्धारित कर दी गयी, जोकि आपत्तिजनक है।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

चयन वर्ष 2014–15 में लोक सेवा आयोग से 67 उप शिक्षा अधिकारी चयनित हुए हैं एवं निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों को दिनांक 03.11.2014 में प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है। उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती एवं निरीक्षण संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता के संबंध में कार्मिक विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श मांगा गया था कि ज्येष्ठता सूची का निर्धारण करते समय निरीक्षण संवर्ग के उक्त अधिकारियों को चयन वर्ष 2014–15 में नियुक्त उपशिक्षा अधिकारियों से पहले रखा जायेगा? कार्मिक विभाग ने परामर्श दिया है कि "उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 5 में उल्लेख किया है कि उनका समायोजन उप शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक पद पर प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से करना उल्लिखित है, जहां तक सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता का प्रश्न है, वह उनकी सेवा में मौलिक नियुक्ति के दिनांक (यथास्थिति सपठित नियमों) से अवधारित की जायेगी।"

उक्त के क्रम में अग्रेत्तर प्रस्तर में परामर्श दिया कि "निस्तारण आदेश दिनांक 19.08.2014 एवं दिनांक 02.06.2016 के बिन्दु 10(05) में उल्लेख किया गया है कि इन कार्मिकों के प्रशासनिक संवर्ग में संभावित पद पर वर्तमान में सबसे निम्नतम कार्मिक के बाद इन कार्मिकों का वरिष्ठता क्रमानुसार किया जायेगा। अतः स्पष्ट होता है कि प्र0विभाग द्वारा ज्येष्ठता निर्धारित का निर्णय लिया जा चुका है"। कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श के क्रम में निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 28.03.2006 के क्रमांक 459 के बाद उनकी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाये।

यद्यपि आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति के सापेक्ष उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। तथापि यह स्पष्ट करना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8 में यह व्यवस्था है कि जब नियुक्तियां विभिन्न स्रोतों से हो तो ज्येष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है? किन्तु इस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो तो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में अवधारित किया जायेगा। किन्तु विषयगत प्रकरण अर्थात् निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त नियम से आच्छादित नहीं होता है, क्योंकि निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों जिनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, कि समूह 'ख' उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के क्रम में वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में हो चुकी है एवं चयन वर्ष 2014–15 में इनसे विकल्प प्राप्त करते हुए प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है तथा कालांतर में संशोधित नियमावली बनाते हुए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही इनका समायोजन प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से किया गया है। अतः निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति वर्ष 2014–15 में नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2014–15 में

उपप्रधानाचार्य के पद पर चयनित होकर आए अभ्यर्थी जिन्हें उपप्रधानाचार्य का पद समाप्त हो जाने के कारण उप शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनाती दी गयी है, के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता चक्रानुक्रम में अवधारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

आपत्ति–6

उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानानुसार यह भी स्पष्ट है कि किसी संवर्ग में यदि अन्य संवर्ग के कार्मिकों का समयोजन किया जाता है तो इस प्रकार समायोजित कार्मिकों की ज्येष्ठता संवर्ग में नियुक्त अन्तिम कार्मिक के ठीक पश्चात् निर्धारित की जाएगी। किन्तु प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त नियम का भी उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक संवर्ग में समायोजित (नियमानुसार नियमावली संशोधन प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक 23.12.016 से) निरीक्षण संवर्ग के 33 कार्मिकों को प्रशासनिक संवर्ग में उनसे पूर्व (दिनांक 07.01.2015 को) सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों से वरिष्ठता क्रमांक में ऊपर स्थापित कर दिया गया। जोकि पुनः आपत्तिजनक है।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

चयन वर्ष 2014–15 में लोक सेवा आयोग से 67 उप शिक्षा अधिकारी चयनित हुए हैं एवं निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों को दिनांक 03.11.2014 में प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है। उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती एवं निरीक्षण संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता के संबंध में कार्मिक विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श मांगा गया था कि ज्येष्ठता सूची का निर्धारण करते समय निरीक्षण संवर्ग के उक्त अधिकारियों को चयन वर्ष 2014–15 में नियुक्त उपशिक्षा अधिकारियों से पहले रखा जायेगा? कार्मिक विभाग ने परामर्श दिया है कि "उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 5 में उल्लेख किया है कि उनका समायोजन उप शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक पद पर प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से करना उल्लिखित है, जहां तक सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता का प्रश्न है, वह उनकी सेवा में मौलिक नियुक्ति के दिनांक (यथास्थिति सपठित नियमों) से अवधारित की जायेगी।"

उक्त के क्रम में अग्रेत्तर प्रस्तर में परामर्श दिया कि "निस्तारण आदेश दिनांक 19.08.2014 एवं दिनांक 02.06.2016 के बिन्दु 10(05) में उल्लेख किया गया है कि इन कार्मिकों के प्रशासनिक संवर्ग में संभावित पद पर वर्तमान में सबसे निम्नतम कार्मिक के बाद इन कार्मिकों का वरिष्ठता क्रमानुसार किया जायेगा। अतः स्पष्ट होता है कि प्र0विभाग द्वारा ज्येष्ठता निर्धारित का निर्णय लिया जा चुका है"। कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श के क्रम में निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 28.03.2006 के क्रमांक 459 के बाद उनकी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाये।

यद्यपि आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति के सापेक्ष उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। तथापि यह स्पष्ट करना है कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8 में यह व्यवस्था है कि जब नियुक्तियां विभिन्न स्रोतों से हो तो ज्येष्ठता कैसे

निर्धारित की जाती है? किन्तु इस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो तो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में अवधारित किया जायेगा। किन्तु विषयगत प्रकरण अर्थात् निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त नियम से आच्छादित नहीं होता है, क्योंकि निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों जिनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है, कि समूह 'ख' उपप्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के क्रम में वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में हो चुकी है एवं चयन वर्ष 2014–15 में इनसे विकल्प प्राप्त करते हुए प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है तथा कालांतर में संशोधित नियमावली बनाते हुए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही इनका समायोजन प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से किया गया है। अतः निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति वर्ष 2014–15 में नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2014–15 में उपप्रधानाचार्य के पद पर चयनित होकर आए अभ्यर्थी जिन्हें उपप्रधानाचार्य का पद समाप्त हो जाने के कारण उप शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनाती दी गयी है, के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता चक्रानुक्रम में अवधारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आपत्तिकर्ताओं का यह कथन कि उनकी नियुक्ति दिनांक 07.01.2015 की है। जबकि निरीक्षण संवर्ग के समायोजित अधिकारियों की संशोधित नियमावली दिनांक 23.12.2016 को प्रवृत्त हुई है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता ज्येष्ठ हैं। आपत्तिकर्ताओं का यह कथन निराधार है। क्योंकि यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 दिनांक 23.12.2016 को प्रवृत्त हुई है। परन्तु नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 'निरीक्षण संवर्ग समाप्त हो जाने के कारण शासनादेश दिनांक 19.08.2014 के क्रम में केवल एक बार के लिए निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो ₹ 5400/– ग्रेड पे में नियमित रूप से प्रोन्नत हो चुके है। उनका समायोजन उप शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक पद पर प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से किया जाएगा।' नियमावली की इस व्यवस्था के आधार पर ही निरीक्षण संवर्ग के अधिकारियों का समायोजन वर्ष 2014–15 में प्रशासनिक संवर्ग आवंटन की तिथि से किया गया है। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

आपत्ति–7

प्रशासकीय विभाग द्वारा निरीक्षण संवर्ग के 33 कार्मिकों के प्रशासनिक संवर्ग में समायोजन हेतु प्रशासनिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2013 में प्रथम संशोधन माह दिसम्बर, 2016 में किया गया। किन्तु उप शिक्षा अधिकारी के 100 पद जोकि लोक सेवा आयोग की परिधि के पद थे पर अन्य संवर्ग के कार्मिकों के समायोजन हेतु किए गए उक्त संशोधन हेतु प्रशासकीय विभाग पर अन्य संवर्ग के कार्मिकों के समायोजन हेतु किए गए उक्त संशोधन हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। उक्त अनुमोदन के अभाव में प्रश्नगत संशोधन की वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। अतः अधोहस्ताक्षरी उक्त संशोधन को निरस्त किए जाने की मांग करती है।

आपत्ति के सापेक्ष स्थिति

कार्मिक विभाग की उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग(कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।

उक्त संशोधित नियमावली में सीधी भर्ती के पदों पर केवल एक बार के लिए निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो ₹ 5400/– ग्रेड पे में नियमित रूप से प्रोन्नत हो चुके थे उनका समायोजन किया गया है। आगे यह भी स्पष्ट करना है कि निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों जिनकी अनन्तिम ज्येष्ठता को इस आपत्ति के साथ चुनौती दी गयी है, निराधार है, क्योंकि निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों का समूह 'ख' उपप्रधानाचार्य वेतन ग्रेड ₹ 5400/– के पद पर पदोन्नति की संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में पूर्व में ही की जा चुकी है तथा वर्तमान में यद्यपि उप शिक्षा अधिकारी का पद सीधी भर्ती का पद है तथापि इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्गत विभिन्न आदेशों जिनका उल्लेख ऊपर आ चुका है, के अनुसार निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों की संशोधित नियमावली के अनुसार ही उप शिक्षा अधिकारी के पद पर समायोजन की कार्यवाही की गयी है। निरीक्षण संवर्ग के ऐसे अधिकारियों की उप शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रकरण न होने के कारण ही आयोग की सहमति/परामर्श प्राप्त किये जाने का अवसर नहीं था। इस प्रकार आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

अतः प्राप्त आपत्तियों के सापेक्ष उपरोक्तानुसार व्यक्त की गयी वस्तुस्थिति के दृष्टिगत सभी आपत्तियां अग्राह्य होने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या–837/XXIV–2/2018–06(02)/2012 दिनांक 16.03.2018 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित/विचाराधीन रिट याचिका संख्या–188/एस0बी0/2018 हिमांशु नौगांई व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अन्तिम किया जाता है। उपरोक्त के कारण अब कार्यालय ज्ञाप संख्या–150/XXIV–2/2006 दिनांक 28.03.2006 द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची में क्रमांक 459 पर अंकित श्री भगीरथी वेणु से आगे को अंतिम वरिष्ठता निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

क्र0 स0	स्रोत संवर्ग का वरि0 क्र0	वरिक्र0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि /गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक संवर्ग में भर्ती का स्रोत	मौलिक नियुक्ति/ पदोन्नति का आदेश, दिनांक	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	प्रशासनिक संवर्ग आवंटन का आदेश एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	460	श्री दिनेश चन्द्र डिमरी	03.03.57 चमोली	एम0ए0 पुरातत्व विज्ञान बी0एड0	पदोन्नति	कार्यालय ज्ञाप–582/ दिनांक 30.06.2010	30.06.2010 (सेवानिवृत्त)	कार्यालय ज्ञाप–224 दिनांक 03.11.2014 के अनुपालन में उप शिक्षा अधिकारी के पद पर योगदान दिये जाने की तिथि से।

2	19	461	श्री हीरा सिंह नेगी	02.02.57 पौड़ी	एम0एस0सीरसायन विज्ञान बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010 (सेवानिवृत्त)	तदैव
3	25	462	श्री चन्द्रशेखर सिंह बनकोटी	01.06.57 पिथौरागढ़	एम0एस0सी बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010 (सेवानिवृत्त)	तदैव
4	26	463	डॉ0 हरीश सिंह बोरा	07.06.57 पिथौरागढ़	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010 (सेवानिवृत्त)	तदैव
5	29	464	श्रीमती पुष्पा जोशी	02.09.59	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
6	32	465	श्रीमती इन्दा नेगी	12.05.57 पौड़ी	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010 (सेवानिवृत्त)	तदैव
7	35	466	श्री रणजीत सिंह (अनु0ज0जा0)	12.06.59 चमोली	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
8	36	467	डॉ0 रश्मि बडोनी	11.02.61	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
9	37	468	श्रीमती कमला जंगपांगी (अनु0ज0जा0)	02.11.59 पिथौरागढ़	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
10	38	469	श्री गणेश प्रसाद (अनु0जा0)	05.08.58 पिथौरागढ़	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
11	39	470	डा0 बृजेन्द्र जोशी	15.02.59 बागेश्वर	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
12	41	471	श्री रामस्वरूप यादव (पि0जा0)	13.02.57 बांदा	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010 (सेवानिवृत्त)	तदैव
13	42	472	श्री महावीर सिंह चौधरी	01.07.58 अलीगढ़	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	30.06.2010	तदैव
14	45	473	श्री मुखलाल प्रसाद (अनु0जा0)	02.05.58 देवरिया	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	कार्यालय ज्ञाप–506 दिनांक 14.06.11 द्वारा पदोन्नत	14.06.11 (सेवानिवृत्त)	तदैव
15	74	474	श्री रणजीत सिंह नेगी	01.7.67 अल्मोड़ा	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
16	75	475	श्री जगदीश प्रसाद काला	30.06.71 पौड़ी	एम0एस0सी0 गणित बी0एड0 पी0जी0 डी0बी0ए0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
17	79	476	श्री विनय कुमार आर्य (अनु0ज0)	31.03.69 नैनीताल	एम0ए0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
18	80	477	श्री पुष्कर लाल टम्टा (अनु0जा0)	02.04.69 अल्मोड़ा	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
19	83	478	श्री श्रीकांत पुरोहित	25.12.70 पौड़ी	एम0एस0सी0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
20	84	479	श्री पंकज शर्मा	04.12.71 देहरादून	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
21	85	480	श्री चण्डी प्रसाद रतूड़ी	23.01.71 पौड़ी	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
22	86	481	श्री अमित कोटियाल	23.12.72 टिहरी	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव

23	87	482	श्री शैलेन्द्र अमोली	06.08.71 देहरादून	एम0एस0सी0 गणित बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
24	88	483	श्री तरूण कुमार पन्त	15.06.70 अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
25	89	484	श्री श्याम सिंह बिष्ट	28.06.65 अल्मोड़	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
26	90	485	श्री संजीव जोशी	14.11.68 देहरादून	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
27	91	486	श्री भाष्करानन्द पाण्डेय	10.10.69 अल्मोड़ा	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
28	92	487	श्री प्रकाश सिंह जंगपांगी (अनु0ज0जा0)	28.06.66 पिथौरागढ़	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
29	95	488	श्री स्वराज सिंह तोमर (अनु0ज0जा0)	22.06.70 देहरादून	एम0ए0 एल0टी0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
30	97	489	श्री रमेश सिंह (अनु0ज0जा0)	27.03.67 देहरादून	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
31	98	490	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान (अनु0ज0जा0)	20.10.72 देहरादून	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
32	100	491	श्री अजय कुमार चौधरी (पि0जा0)	28.08.68 फैजाबाद	एम0ए0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव
33	103	492	श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र	26.01.69 हमीरपुर	एम0एस0सी0 बी0एड0	पदोन्नति	तदैव	14.06.11	तदैव

उपरोक्तानुसार अन्तिम रूप से निर्धारित वरिष्ठता सूची, मा0 न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन रिट याचिका संख्या–188/एस0बी0/2018 हिमांशु नौगांई व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या– 250 (1)/XXIV–2/2018–06(02)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायाल, नैनीताल।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

8. आपत्तिकर्ता अधिकारियों सहित समस्त उप शिक्षा अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव